संख्या-19/2016/ए-1-907/दस-2016-10(65)/2014

प्रेषक,

अनूप चन्द्र पाण्डेय,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
2- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।

वित्त (लेखा) अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक : 14 दिसम्बर, 2016**

विषय : प्रदेश के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र (Digital Life Certficate) की व्यवस्था लागू किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा लागू व्यवस्था के क्रम में उत्तर प्रदेश के कोषागारों से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की व्यवस्था लागू किये जाने हेतु शासन के पत्रांक-ए-1-1086/दस-2015-10(65)/2014, दिनांक 17 फरवरी, 2016 द्वारा सैद्धांतिक निर्णय लिया गया है। इस व्यवस्था में आधार कार्ड में अंकित बायोमेट्रिक्स के आधार पर ऑनलाईन जीवन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना सम्भव होगा। यह व्यवस्था ऐसे पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के लिए लागू होगी, जिनके पास आधार नम्बर उपलब्ध है। डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र (Digital Life Certficate) की प्रक्रिया निम्नवत् होगी :-

(1) डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र (Digital Life Certficate) को जनरेट करने हेतु पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को प्रथम बार अपने सम्बन्धित कोषागार में पेंशन प्राधिकार-पत्र (पीपीओ), आधार कार्ड एवं बैंक पासबुक की मूलप्रति तथा उनकी छायाप्रतियॉ लेकर उपस्थित होना होगा।

(2) कोषागार स्तर पर www.jeevanpramaan.gov.in वेबसाइट पर जीवन प्रमाण एप्लीकेशन का प्रयोग करते हुए पेंशनर/पारिवारिक पेंशनरों का मोबाइल नम्बर एवं आधार नम्बर फीड करने पर एक फार्म खुलेगा, जिसमें आधार नम्बर, पेंशनर का नाम, पेंशन प्राधिकार संख्या, बैंक खाता संख्या, आई0एफ0एस0 कोड का विवरण एवं मोबाइल नम्बर फीड कर रजिस्टर कराया जायेगा तथा एस0टी0क्यू0सी0 बायोमेट्रिक डिवाइस पर अंगूठा लगा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

कर बायोमेट्रिक एथेंटिकेशन कराया जायेगा।

(3) उक्त हेतु कोषागार प्रथम बार समस्त पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों का मिलान कोषागार में उपलब्ध पेंशनरों के अभिलेखों से करेंगे। बायोमेट्रिक एथेंटिकेशन होने पर आधार कार्ड की मूलप्रति से मिलान कर आधार कार्ड की छायाप्रति तथा एथेंटिकेशन डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की प्रति गार्ड फाइल में रखी जोयगी एवं आधार नम्बर का डेटाबेस भी तैयार किया जायेगा।

(4) डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र (Digital Life Certficate) जनरेट करने की कार्यवाही सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को उनके द्वारा प्रदत्त मोबाइल पर एस एम एस द्वारा ट्रांजेक्शन आईडी प्राप्त होगी। इसके आधार पर पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स कम्प्यूटर जनरेटेड डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र www.jeevanpramaan.gov.in वेबसाइट से प्राप्त कर सकेंगे। पेंशनर/पारिवारिक पेंशनरों द्वारा डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र (Digital Life Certficate) वर्ष के किसी भी माह में दिया जा सकता है।

(5) प्रथम बार कोषागार स्तर पर डिजिटल जीवन प्रमाण हेतु रजिस्टर हो जाने के उपरांत पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को भविष्य में जीवन प्रमाण-पत्र देने हेतु कोषागार में उपस्थित होने की अनिवार्यता समाप्त हो जायेगी।

(6) जो पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर कोषागार द्वारा www.jeevanpramaan.gov.in में पंजीकृत कर दिये जायेंगे, वे भविष्य में जीवन प्रमाण-पत्र टैब/स्मार्टफोन/विण्डोज कम्प्यूटर पर एप्लीकेशन www.jeevanpramaan.gov.in से डाउनलोड कर फिंगर प्रिन्टर स्कैनर का प्रयोग करते हुए घर से भी डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र दे पायेंगे। इस हेतु वे नजदीकी जीवन प्रमाण-पत्र केन्द्र/नागरिक सुविधा केन्द्र में भी सम्पर्क कर सकते हैं, जिसकी सूची www.jeevanpramaan.gov.in वेबसाइट के Locate a Centre लिंक में दी गयी है।

(7) कोषागार www.jeevanpramaan.gov.in पर अपना लॉगिन कर पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर के जीवन प्रमाण-पत्र को उसके द्वारा दिये गये आधार नम्बर, बैंक खाता नम्बर तथा ट्रांजेक्शन आईडी के आधार पर ऐक्सेप्ट/रिजेक्ट कर सकेंगे।

(8) सम्बन्धित कोषागार के मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारियों द्वारा जीवन प्रमाण-पत्र पोर्टल से डाउनलोड किये गये जीवन प्रमाण-पत्र को अपने

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

कार्यालय की गार्ड फाइल से मिलान कर पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर के डाटा बेस को मैनुअली/स्वत: अपडेट कर दिया जायेगा।

(9) डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र (Digital Life Certficate) की नवीन व्यवस्था वर्तमान प्रचलित व्यवस्था के अतिरिक्त होगी। नवीन व्यवस्था को लागू किये जाने से सम्बन्धित किसी भी प्रक्रियात्मक जानकारी हेतु वेबसाइट www.jeevanpramaan.gov.in पर जाकर अथवा सम्बन्धित कोषागार से सम्पर्क किया जा सकता है।

2- अत: उपरोक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की व्यवस्था उपरोक्तानुसार लागू किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
अनूप चन्द्र पाण्डेय
प्रमुख सचिव।

संख्या-19/2016/ए-1-907(1)/दस-2016-10(65)/2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

(2) प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।

(3) प्रमुख सचिव/सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश।

(4) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

(5) महालेखाकार (लेखा परीक्षा)- प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

(6) मुख्य लेखाकार, भारतीय रिजर्व बैंक, सरकारी और बैंक लेखा विभाग, केन्द्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुम्बई।

(7) मुख्य लेखाकार, भारतीय रिजर्व बैंक, कानपुर।

(8) निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।

(9) निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

(10) मुख्य महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, मुम्बई।

(11) मुख्य महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, स्थानीय प्रधान कार्यालय, लखनऊ/नई दिल्ली।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(12) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

(13) नियंत्रक रक्षा लेखा (पेंशन) इलाहाबाद।

(14) एस0आई0ओ0एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,
राजीव श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

संख्या-19/2016/ए-1-907(2)/दस-2016-10(65)/2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) जनरल मैनेजर, इलाहाबाद बैंक, प्रधान कार्यालय, 14, इण्डिया एक्सचेन्ज प्लेस, कोलकाता-1.

(2) जनरल मैनेजर, बैंक ऑफ बड़ौदा, केन्द्रीय कार्यालय, ब्रान्च एक्सटेंशन प्रोग्राम, पोस्ट बाक्स नं0-6056, 3-फजल रोड ऑफ कफ परेड, कोलाबा, मुम्बई-400005.

(3) जनरल मैनेजर, सेण्ट्रल बैंक आफॅ इण्डिया, प्रधान कार्यालय, चन्दरमुखी, नारीमन प्वाइंट, मुम्बई-400021.

(4) जनरल मैनेजर, पंजाब नेशनल बैंक, प्रधान कार्यालय, 5-पार्लियामेण्ट स्ट्रीट, नई दिल्ली।

(5) जनरल मैनेजर, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, प्रधान कार्यालय, यूनियन बैंक बिल्डिंग, 239, बैकवे रिक्लेमेशन, नरीमन प्वाइंट, मुम्बई-400020.

(6) जनरल मैनेजर, बैंक ऑफ इण्डिया, प्रधान कार्यालय, एक्सप्रेस टॉवर्स, नरीमन प्वाइंट, पोस्ट बाक्स नं0-234, मुम्बई-400021.

(7) जनरल मैनेजर, यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया, प्रधान कार्यालय, 16 ओल्ड कोर्ट हाऊस स्ट्रीट कोलकाता-1.

(8) जनरल मैनेजर, इण्डियन ओवरसीज बैंक, प्रधान कार्यालय, 151 माऊण्ट रोड, चेन्नई-21.

(9) जनरल मैनेजर, यूनाइटेड कामर्शियल बैंक, प्रधान कार्यालय, 10, ब्रबोरने रोड,कोलकाता-1.

(10) जनरल मैनेजर, केनरा बैंक, प्रधान कार्यालय, 112 जयचम राजेन्द्र रोड, पोस्ट बाक्स नं0-0684, बैंगलोर-2.

(11) जनरल मैनेजर, सिण्डीकेट बैंक, प्रधान कार्यालय, पोस्ट बाक्स नं0-1, मनीपाल (एस0के0), कर्नाटक स्टेट।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(12) जनरल मैनेजर, देना बैंक, प्रधान कार्यालय, देवकरन, ननजी बिल्डिंग, पोस्ट बाक्स नं0-41, फोर्ट मुम्बई-400001.

(13) जनरल मैनेजर, इण्डियन बैंक, प्रधान कार्यालय, इण्डियन बैंक बिल्डिंग, पोस्ट बाक्स नं0-41, फोर्ट मुम्बई-400001

(14) जनरल मैनेजर, बैंक ऑफ बड़ौदा, 45-एलआईसी बिल्डिंग, हजरतगंज लखनऊ।

(15) जनरल मैनेजर, इलाहाबाद बैंक, हजरतगंज लखनऊ।

(16) जनरल मैनेजर, सेण्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, 23 विधान सभा मार्ग लखनऊ।

(17) रीजनल मैनेजर, बैंक ऑफ इण्डिया, स्टार हाऊस, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, शाहनजफ रोड, लखनऊ।

(18) रीजनल मैनेजर, पंजाब नेशनल बैंक, कानपुर/लखनऊ/मेरठ।

(19) रीजनल मैनेजर, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, मेजर बैक्स रोड, लखनऊ/दिल्ली रोड, मेरठ/कमच्छा, वाराणसी।

(20) रीजनल मैनेजर, यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया, एच0बी0 हबीबुल्ला स्टेट हजरतगंज, लखनऊ।

(21) रीजनल मैनेजर, इण्डियन ओवरसीज बैंक, पूसा रोड, नई दिल्ली।

(22) जनरल मैनेजर, यूनाइटेड कामर्शियल बैंक, 23 विधान सभा मार्ग लखनऊ।

(23) डिवीजनल मैनेजर, केनरा बैंक, विपिन खण्ड गोमतीनगर, लखनऊ।

(24) रीजनल डेवलपमेण्ट मैनेजर, सिण्डीकेट बैंक, बहादुर शाहनजफ मार्ग, नई दिल्ली।

(25) रीजनल मैनेजर, देना बैंक, बड़ा खम्भा रोड, नई दिल्ली।

आज्ञा से,
राजीव श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।